Closure of cement factory in Sawai Modhopur affecting many workers

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): माननीया उपसभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सीमेंट फैक्ट्री सवाई-माधोपुर के बारे में दिलाना चाहता हूं। सीमेंट फैक्ट्री सवाई-माधोपुर की स्थापना 1948 में हुई तथा उत्पादन 1953 में 500 मी0 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ प्रारम्भ हुआ तथा बहुत शीघ्र 1958–59 तक इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़कर 2590 मी0 टन प्रतिदिन होकर इसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना होने का गौरव प्राप्त हुआ। सन् 1975–76 में पहली बार इस फैक्ट्री में थोड़ा सा घाटा हुआ तथा 9 माह फैक्ट्री बंद रही तब यह निश्चय हुआ कि यहां का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा नियुक्त संचालक मंडल के अधीन होगा तथा इस व्यवस्था को वहां क्रियान्वित किया गया। इस व्यवस्था के अधीन 1986–87 से अर्थात् गत एक वर्ष से लगातार बंद पड़ा है तथा तब से अब तक मात्र वहां के कर्मचारियों को तीन माह का वेतन मिला है जिस कारण से वहां के 4000 मजदूरों के घर के सदस्य करीब 20,000 व्यक्ति आज भूखे मर रहे है। उनके बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि खाने को ही पैसा नहीं है तो फीस और किताबें कहां से लायें। वह कालेज और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने अपनी जवानी में कदम भी नहीं रखा था जंगल से लकडी व पत्ते लेने जाते हैं।

जहां तक मै बताऊं, अभी वहां एक कर्मचारी की बीवी की मत्यु हो गई तो वह अस्पताल से उसकी डेड-बोडी नही ले गया क्योंकि उसका क्रियाकर्म करने के लिए उसके पास पैसे नही थे। वहां के लोगों ने दस-दस रुपए चंदा देकर के उसकी पत्नी का दाह-संस्कार कराया। इस तरह से वहां सीमेंट-फैक्टरी के मजदूर भूखों मर रहे हैं। इसके लिए दोषी चाहे कोई भी हो, राज्य सरकार हो या कोई हो, उसकी सजा उन चार हजार कर्मचारियों के घर के जो सदस्य हैं बीस हजार, जो मासूम बच्चे है, उनको नहीं मिलनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, अकाल के समय *राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने* छह सौ करोड़ रुपया दिया था, वह भी मानवता के आधार पर दिया था, मौत से आदमियों को बचाने के लिए दिया था। उसी तरह से मैं चाहूंगा सवाई माधोपुर की फैक्टरी के एक साल से बंद होने के कारण वहां बीस हजार आदमी भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे जंगलों में जाकर लकड़ियां-पत्तियां ला रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए मानवता के आधार पर इसको देखा जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाय या इस सीमेंट फैक्टरी को चलवाया जाए।

उपसभापति महोदया, राज्य सरकार ने अभी कुछ दिन पहले उस फैक्टरी को चलवाने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर को वहां भेजा था दो करोड़ रुपए की मदद देकर, लेकिन उस मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय ने उस दो करोड़ रुपए और वहां की सीमेंट थी, उसे बेचकर पुराने पैसे चुकाए तथा पत्थर का अंबार लगा दिया, कोयला नही मंगवाया, जिससे वह फैक्टरी नहीं चली। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि मजदूरों और उनके परिवारों के सदस्यों को मानवता के आधार पर मदद पहुंचाने के लिए उस सीमेंट फैक्टरी को तत्काल चलवायें तथा केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान): उपसभापति महोदया, इस विशेष उल्लेख से मैं अपने आपको संबद्ध करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भी इस मुद्दे को इस हाउस में उठाया था, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि तत्काल वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से उस फैक्टरी को चलवाया जाएगा। लेकिन इस सदन में आश्वासन के बावजूद भी यह स्थिति अभी

तक चल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जाए।

Ferry disaster in Maniharighat of Katihar district of Bihar

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : महोदया, इस विशेष उल्लेख के जरिए मैं एक बहुत ही दुखद घटना, जो विगत 6 अगस्त को कटिहार जिले के मनिहारी घाट में हुई, की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस घटना में एक स्टीमर के डूबने से 300 से 500 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि बिहार सरकार बड़ी तत्परता से तथ्यों की जांच करा रही है, कमीशन भी बैठाया है, लेकिन इस तरह से कमीशन बैठाने से या तथ्यों की जांच कराते रहने के बाद भी जो घटनाएं घटती रहती है, क्या उन्हें रोकने की व्यवस्था की जा रही है? मैं मानता हूं कि औपचारिकता के नाते यह आवश्यक है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि मरने वालों के परिवारों को समुचित राहत पहुंचाई जाए, कमीशन द्वारा जो जांच हो उस पर कार्यवाही की जाए। इसमें चिंता का विषय यह है कि जो निजी स्टीमर हैं, उन्हें चलाने की इजाजत सरकार किन शर्तों पर देती है और यह कैसे चलते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, इसमें कितने यात्री सवार होने चाहिएं, इसका कोई नियम है या नही, इन सारी बातों की छानबीन होनी चाहिए क्योंकि जो निजी लोग इस तरह का स्टीमर चलाते हैं, वह व्यवस्था अपने आप में दोषपूर्ण है।

महोदया, यह इस तरह के निजी स्टीमर पहले पटना से पाले़जाघाट पर चलाए जाते थे, जो पुल बनने के बाद बंद हो गए और वहां से जो पुराने स्टीमर है, जितने क्रेक स्टीमर हैं, उन्हें उस मनिहारी घाट की तरफ निजी लोगों ने अब चलाना शुरू कर दिया है। उस पर कोई रोकथाम नहीं है कितने लोग बैठेंगे। महोदया, मेरा निजी अनुभव है कि जब पटना से पलेचा घाट के ऊपर इस तरह का स्टीमर चलाया जाता था तो उसमें जानवरों की तरह से इंसानों को भरा जाता था और स्टीमर चलाने वाले पैसे लिये बिना किसी प्रकार का अंकुश रखते हुये सवारियां चढ़ा देते थे। इस तरह की एक दुर्घटना काफी दिनो पहले भी हुई थी।

महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बिहार में जो निजी स्टीमर्स चलाये जाते है, उनकी फिटनेस की जाच की जाय और केवल सक्षम स्टीमर्स को ही चलाये जाने की इजाजत दी जाये। दूसरी बात, ध्यान देने की यह है कि जो स्टीमर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा यात्री न चढ़ सकें, इसके लिये व्यवस्था करना भी परमावश्यक है। महोदया, यह जो दुर्घटना हुई है इसमें लोगों की लाश मिलना भी मुश्किल हो गया है। हजारों लोग अपने संबंधियों के शवों के लिये घाट के किनारे प्रतीक्षारत खड़े हैं। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि वह इस बारे में तत्काल कदम उठायेगी और भविष्य में दोषरहित स्टीमर्स को चलाये जाने की एक सुनियोजित व्यवस्था करेगी। धन्यवाद।

उपसभापति : श्री गोपालसामी।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री राम चन्द्र विकल : महोदया, मेरी सुन तो लें*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; I am not permitting you You cannot raise it in this way. It will not go on record.

यह यहां डिसाइड नहीं होता है। यह यहां पूछ नहीं सकते आप वही स्पेशल मेंशन आते हैं, जिनको कि एलाउ किया जाता है।

श्री राम चन्द्र विकल :*

---

*Not recorded.